राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 10/2016/अलवर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट तृतीय, प्रतिकरापवंचन, भिवाडी .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स एम.जे. इन्जीनियरिंग वर्क्स प्रा0लि0,
ई–802, फेज–द्वितीय, इण्ड0 एरिया भिवाड़ी .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक .....विभाग की ओर से

.....प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक : 15.06.2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी विभाग द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 66/आरवैट/2014–15/अपी.प्राधि./अलवर में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 16.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय, प्रतिकरापवंचन भिवाडी (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत पारित आदेश दिनांक 17.07.2014 में आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट प्रथम, प्रतिकरापवंचन, भिवाड़ी द्वारा दिनांक 11.07.2014 को वाहन संख्या HR-55/P-5378 को रोककर चैक किया गया। वाहन को चैक करने पर उसमें परिवहनित माल "M.S. Angle" के दस्तावेज मांगे जाने पर चालक द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को निम्नांकित दस्तावेज प्रस्तुत किये :–

    1. मै0 श्री बजरंग अलॉयज लि0, रायपुर के बिल नं0 00291 व 00292 दिनांक 08.07.2014 जो मै0 ए.बी. स्टील, जयपुर को जारी है।
    2. मै0 शाह ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, रायपुर की जी.आर. नं0 1117 दिनांक 08.07.2014
    3. घोषणा पत्र वैट–47 क्रमांक A2421622
    4. मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग का ट्रांजिट पास क्रमांक डी 047340

निरन्तर.....2

5. उत्तर प्रदेश, वाणिज्यिक कर विभाग का ट्रांजिट डिक्लेरेशन फॉर्म क्रमांक D20140700103103
6. कच्ची पर्ची जिस पर एक तरफ अंग्रेजी में तथा दूसरी तरफ हिन्दी में A.B. Steel, E-802, Bhiwadi Ind. Area, Phase-II, Bhiwadi अंकित है।

3. उक्त दस्तावेजों की जांच करने पर पाया कि माल का बेचान मै0 श्री बजरंग अलॉयज लि0, रायपुर द्वारा मै0 A.B. Steel, Jaipur को किया गया है जबकि वाहन की स्थिति तथा वाहन चालक के बयान के अनुसार माल भिवाडी में खाली किये जाने के लिए लाया गया। उक्त संबंध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा नोटिस का जवाब पेश किया गया, प्रत्यर्थी के जवाब से असंतुष्ट होते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति 3,49,619/– रूपये आरोपित की गई। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे अपीलीय अधिकारी ने स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति राशि को अपास्त किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ तथापि प्रकरण का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

5. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि परिवहनित माल रायपुर (छत्तीसगढ़) से जयपुर के लिये रवाना हुआ है, जिसके संबंध में वाहन चालक द्वारा जांच अधिकारी के समक्ष प्रेषक का बिल, ट्रांसपोर्टर की बिल्टी, मध्यप्रदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्यों के Transit Declaration Forms तथा राजस्थान राज्य का घोषणा पत्र वैट 47 संख्या 2421622 प्रस्तुत किये थे। उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मार्गस्थ माल के राज्य में प्रवेश के समय तक जो दस्तावेज विधिनुरूप आवश्यक होते हैं, वे सभी दस्तावेज साथ में थे तथा विभाग द्वारा जारी घोषणा पत्र पूर्ण रूप से भरा हुआ होने के कारण इस माल की बिक्री पर करवंचना की भी कोई संभावना नहीं बनती है। मौजूदा विवाद केवल इतना है

निरन्तर.....3

कि माल का गन्तव्य जयपुर घोषित है जबकि उक्त वाहन भिवाड़ी में पाये जाने पर चैक हुआ तथा भिवाड़ी स्थित फर्म मैसर्स एम.जे. इन्जीनियरिंग वर्क्स (प्रा0) लि0 ने प्रकरण में पक्षकार बनते हुए यह स्वीकार किया है कि यह माल उसके द्वारा मैसर्स ए.बी. स्टील, जयपुर को दिये गये क्रयादेश के क्रम में आ रहा है। कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर दिनांक 16.07.2014 में यह भी बताया गया है कि चूंकि उसके द्वारा जयपुर स्थित फर्म मैसर्स ए.बी. स्टील को दिनांक 10.07.2014 को ही माल सप्लाई हेतु आदेश दिया गया था तथा माल की शीघ्र आवश्यकता के कारण उक्त जयपुर स्थित फर्म ने रायपुर से आ रहे इस कन्साइन्मेंट को सीधे ही भिवाड़ी डिलीवर करने हेतु आदेश दे दिया तथा बिक्री इन्वॉयस संख्या 6/10.07.2014 तथा 7/10.07.2014 जारी कर दिये थे जिनमें 5 प्रतिशत की दर से वैट भी वसूल कर लिया गया था। प्रत्युत्तर में यह भी बताया गया है कि मैसर्स ए.बी स्टील जयपुर द्वारा जारी उक्त इन्वॉयसेज की प्रतियां भिवाड़ी स्थित फर्म को ई–मेल से तथा डाक/कोरियर से भी भेज दी गई थी।

6. प्रकरण के तथ्यों व परिस्थिति का समग्र परिपेक्ष्य में अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि परिवहनित माल के संबंध में रायपुर से जयपुर तक के सभी दस्तावेज मौजूद थे तथा फॉर्म वैट 47 भी विद्यमान होने के कारण इस माल पर करवंचना की संभावना प्रतीत नहीं होती है। चूंकि माल भिवाड़ी में खाली होना था तथा उस समय तक जयपुर की फर्म द्वारा जारी कोई बिल या अन्य दस्तावेज जांच अधिकारी के समक्ष पेश नहीं किया गया था, अतः उसके द्वारा यह माना गया कि मार्गस्थ माल असम्बद्ध दस्तावेजों से परिवहनित किया जा रहा था तथा तत्पश्चात कर निर्धारण अधिकारी ने माल के गन्तव्य स्थल के दस्तावेज नहीं होने के कारण शास्ति का आरोपण किया है। परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा दिये गये प्रत्युत्तर के तथ्यों – विशेषतः जयपुर स्थित फर्म मैसर्स ए.बी. स्टील द्वारा प्रत्यर्थी को जारी इन्वॉयसेज की जांच नहीं की गई है तथा प्रस्तुत प्रत्युत्तर के तथ्यों को जांच के पश्चात असत्य साबित नहीं किया गया है, अतः अपीलीय अधिकारी का यह निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रत्युत्तर पेश किये जाने के पश्चात सक्षम अधिकारी को इस संबंध में यदि किसी प्रकार का संदेह था तो उसके द्वारा जांच की जाकर उक्त विक्रय संव्यवहारों की वास्तविक तिथि की सत्यता (अथवा असत्यता) को ठोस आधारों सहित साबित करना चाहिए था परन्तु उनके द्वारा ऐसी कोई जांच कार्यवाही की ही नहीं गई। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा तथ्यों के संबंध में बिना किसी जांच के प्रत्यर्थी के प्रत्युत्तर को अस्वीकार किया है, जिसे

निरन्तर.....4

विधिसम्मत कार्यवाही नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार प्रकरण में आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है, अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

8. निणर्य सुनाया गया।

15.06.2018

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य